कौशल्या देवी

बनाम

श्री करण अरोड़ा व अन्य

14 मई, 2007

[न्यायमूर्ति डॉ**.** अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पाट**]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

1. धारा 166 सपठित धारा 140 और 141-मोटर दुर्घटना- 14 साल के बच्चे की मौत-वाहन का चालक भी नाबालिग- न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं- मालिक को दावे की तारीख से लेकर अदायगी तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ एक लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया- यह अभिनिर्धारित किया कि छोटे बच्चों के मामले में न तो मृत बच्चे की आय और न ही माता-पिता को हुआ नुकसान गणितीय गणना करने में सम्भव है, और सुसंगत कारक माता-पिता की उम्र होगी - दावाकर्ता, अपीलकर्ता के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई पंचाट राशि में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166, 140 और 141 के तहत एक दावा याचिका अपीलार्थी के पति द्वारा दायर की गई थी कि उनके 14 साल के बेटे की मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृत्यु हो गई है। वाहन के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत के रुप में शामिल किया गया था। जबकि अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 04 के रुप में रखा गया था। दावा याचिका की सुनवाई के दौरान यह संज्ञान में आया कि ड्राईवर नाबालिग था, जिसके पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी, न्यायाधिकरण ने वाहन के मालिक को उत्तरदायी ठहराया और एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति दी गई इसके साथ-साथ दावे की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत ब्याज दिया। दावेदार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। दावाकर्ता की मृत्यु हो गई; उसकी पत्नी, मृतक की माँ ने यह अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुऐ

अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में जहां माता-पिता दावेदार हैं, सुसंगत कारक माता-पिता की उम्र होगी, कम उम्र के छोटे बच्चों के मामलों में, प्रचुर मात्रा

में अनिश्चितताओं को देखते हुऐ न तो मृत बच्चे की आय अनुमानित आधार पर मूल्यांकन करने में सक्षम है और न ही माता-पिता द्वारा वहन किये गये वित्तीय नुकसान की गणितीय गणना करने में सक्षम है। सतेंदर के मामले में बताऐ गये सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने और इस तथ्य पर कि अपीलकर्ता के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, मामले में दी गई क्षतिपूर्ति की मात्रा में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम सतेंदर और अन्य। ए.आई.आर. 2007 एससी 324 और लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। (2001) 9 एससीसी 197 - अवलंबित निर्णय।

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम जसवीर कौर और अन्य (2003) 7 एससीसी 484 सन्दर्भित।

मैलेट बनाम मैकमोंगले, (1970) एसी 166; डेविस बनाम टेलर (1974) एसी 207 और डेविस बनाम पॉवले डफ्रिन एसोसिएटेड कॉलरी लिमिटेड, (1942) 1 ऑल ईअर 657, सन्दर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 2479/2007

एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 2439/1998 में चंडीगढ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 08.01.1999 से

अपीलकर्ता के लिए हिमांशु गुप्ता और शिवाजी एम.जाधव।

प्रत्यर्थीगण की ओर से सचिन जैन और डॉ0 कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा0 अरिजीत पसायत ने दिया।

न्यायमूर्ति डॉ0 अरिजीत पसायत

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चूनौती दी गई है, जिसने अपीलकर्ता के पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। अपील में अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 था।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है:-

अपीलकर्ता के पति बलवन्त सिंह द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 166, 140 और 141 के संदर्भ में एक दावा

याचिका दायर की गई थी। दावा याचिका में, वर्तमान अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 4 के रुप में शामिल किया गया था, जबकि वाहन संख्या एचआर 41/3347 के वाहन चालक और वाहन मालिक को प्रत्यर्थी 1 और 2 के रूप में शामिल किया गया था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (इसक ` ‘ बाद बीमाकर्ता रूप में संदर्भित) को प्रत्यर्थी संख्या 3 के रुप में शामिल किया गया था। 15.03.1997 को दायर दावा याचिका जिसे 17.03.1997 को पंजीकृत किया गया था, में यह आरोप लगाया गया था कि बलवंत सिंह ¼ दावाकर्ता½ और वर्तमान अपीलकर्ता के बेटे की मृत्यु उस वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी जिसमें उपरोक्त कार अन्तर्वलित थी। मृतक लगभग 14 वर्ष का था और अपीलार्थी का एकमात्र पुत्र था। दुर्घटना 05.02.1997 को हुई जब करण अरोड़ा (प्रत्यर्थी नंबर 1) दावेदार के घर आऐ और मृतक से अपनी कार में उसके साथ चलने का अनुरोध किया। कार उक्त करण अरोड़ा चला रहा था। गाडी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मृतक की जान चली गई। 10,00,000/- रुपये का दावा किया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (स ंक्षेप में न्यायाधिकरण) के नोटिस प्राप्त होने पर वाहन के मालिक ने जवाब दिया कि ड्राईवर अवयस्क था और उसके विरुद्ध दावा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि कुछ अन्य बिंदुओं पर निवेदन किया गया था लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें परिणामहीन माना गया। बीमाकर्ता ने यह रुख अपनाया कि चूंकि मृतक की मृत्यु के बारे में बीमाकर्ता को कभी सूचित नहीं किया गया था और कथित दुर्घटना के बारे में भी याचिका दुरभिसंधिपूर्ण प्रतीत होती है। दावा याचिका में दावा किया गया है कि मृतक प्रतिमाह 10,000/- रुपये कमाता था। बीमाकर्ता ने यह रुख अपनाया कि वह उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि ड्राईवर के पास कोई ड्राईविंग लाइसेंस नहीं था। प्रत्यर्थी नंबर 4 के रूप में वर्तमान अपीलकर्ता ने दावा याचिका में दावे को स्वीकार कर लिया और प्रार्थना की कि इसे स्वीकार किया जाये और उल्लेख किया कि वह क्षतिपूर्ति की राशि में हिस्सा पाने की हकदार है।

4. परस्पर प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना वर्णित तरीके से हुई। चूँकि ड्राईवर नाबालिग था, उस पर कोई दायित्व नहीं था, लेकिन वाहन का मालिक पंचाट के अनुसार क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि ड्राईवर किसी भी वाहन को चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। एक लाख रुपये की राशि के साथ-साथ दावे की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत ब्याज पंचाट की गई। पंचाट में राशि जमा करने के तरीके का भी उल्लेख किया गया था। दावेदार बलवंत सिंह द्वारा एक अपील दायर की गई थी जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पंचाट की राशि कम है और मृतक जिस पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है और उसके शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए पंचाट राशि अधिक होनी चाहिए थी। दूसरी ओर वाहन के मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का समर्थन किया। बीमा कंपनी का दृढमत इसके समान ही था।

6. मैलेट बनाम मैकमोनागल, (1970) एसी 166 में लॉर्ड डिप्लॉक ने तर्कसंगत अनुमान लगाने और उनसे निपटने के व्यावहारिक तरीकों में विभिन्न चरणो में उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं का विस्तार से विश्लेशण किया। डेविस बनाम टेलर (1974) एसी 207 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय भविष्य की अनिश्चित घटनाओं को देखते हुऐ यह तय नहीं करता है कि सामंजस्य बैठाने पर एक वस्तु के अन्य की तुलना में घटित होने की अधिक संभावना है या नहीं लेकिन केवल अवसरों को महत्व देता है। यदि कोई संभावना मामूली ओर दूरस्थ हो तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। गणना की कोई भी विधि वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की आवश्यकता के अधीन है। लेकिन क्षति की गणना के लिऐ एक व्यावहारिक दृष्टिकोण डेविस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कॉलरीज लिमिटेड, (1942) 1 ऑल ई.आर. 657 में निम्नलिखित शब्दों में बताया गया हैः

> ‘‘प्रारम्भिक बिंदु मजदूरी की राशि है जो मृतक कमा रहा था, जिसकी अवधारणा कुछ सीमा तक उसके रोजगार की नियमितता पर निर्भर हो सकती है। फिर एक अनुमान है कि उसे अपने व्यक्तिगत और जीवनयापन के लिए कितना व्यय करना पडता है शेष राशि एक आधार सामग्री या मूल आंकडा देगी जिसे आम तौर पर एक निश्चित संख्या में वर्षों की प्राप्ति के आधार पर एकमुश्त राशि में बदल दिया जायेगा।"

7. हरियाणा और अन्य राज्य बनाम जसबिर कौर और अन्य, (2003), 7 एससीसी 484 में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः

> ‘‘यह ध्यान में रखना होगा कि अधिनियम की धारा 168 के तहत गठित न्यायाधिकरण को क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए एक पंचाट देने की आवश्यकता ह‘ ो‘‘ ती है जो वास्तविक अर्थो में क्षतिपूर्ति ह‘ ‘न‘‘ यायसंगत और उचित प्रतीत होती है। यह ध्यान में

रखना होगा कि अंगों काे या जीवन की हानि के लिए मुआवजे को शायद ही स्वर्णिम तुला से तोला जा सकता है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि क्षतिपूर्ति का पीडित के लिए अप्रत्याशित लाभ होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रुप से इ‘ ‘‘ गित करते हैं कि मुआवजा न्यायसंगत और यह कोई उपहार नहीं हो सकता; लाभ का स्त्रोत नहीं; लेकिन यह मामूली पैसा भी नहीं होना चाहिए। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का कर्तव्य है कि वे इस पर विचार करें विभिन्न कारकों पर विचार कर मुआवजे की राशि का निर्धारण करें, जो उचित होनी चाहिए। ‘न् यायसंगत क्षतिपूर्ति क्या हाेगी। यह एक जटिल प्रश्न है। मानव जीवन या किसी अंग के मूल्य को मूल्यांकित करने के लिए सभी मामलों में कोई स्वर्णिम नियम लागू नहीं हो सकता। सटीक गणितीय गणनाओं से क्षतियों का आंकलन नहीं किया जा सकता। यह विशेष तथ्यों और परिस्थितियों तथा विशिष्ट या विशेष विशेषताओं, यदि कोई हो, पर निर्भर करेगा। मुआवजे का आंकलन करने के लिए अपनाऐ गये प्रत्येक तरीके या तरीकों को ‘न् यायसंगत मुआवजे की पृष्ठभूमि में माना ज़ाना चाहिए ज‘ ो कि महत्वपूर्ण विचार है। हालांकि जो उचित ह‘‘ ोता है अभिव्यक्ति के उपयोग से न्यायाधिकरण में व्यापक विवेक निहित है, निर्धारण तर्कसंगत होना चाहिए, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए और सनक बेबुनियाद अनुमान और मनमानी का नतीजा नहीं हो।

अभिव्यक्ति न्यायसंगत से सामान्यता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता और गैर-मनमानापन अभिप्रेत है। यदि ऐसा नहीं है तो यह न्यायसंगत नहीं हो सकता है। (हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी. (1999) 1 एस.सी.सी. 90- देखें)

8. मानव जीवन के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनका मौद्रिक माप संभव है, लेकिन मानव जीवन की समग्रता मौद्रिक पैमाने की पहुंच से परे सूर्योदय की सुंदरता या सितारों की महिमा की तरह है। मानव जीवन की हानि के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है और यह तब और भी अधिक विस्मित करने वाला हो जाता है जब मृतक बच्चा हो और/या कोई कमाने वाला व्यक्ति न

हो। बच्चे का भविष्य अनिश्चित है, जहाँ मृतक एक बच्चा था, वह कुछ भी नहीं कमा रहा था, लेकिन उसके पास कमाने की संभावना थी। इसलिए मुआवजे के निर्धारण का प्रश्न और भी कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों में मुआवजे के आंकड़े में काफी अनुमान शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में, जहां माता-पिता दावेदार हैं, प्रासंगिक कारक माता-पिता की उम्र होगी।

9. शिशु की मृत्यु के मामले में, बच्चे के जीवनकाल के दौरान उसके माता-पिता को कोई वास्तविक आर्थिक लाभ नहीं मिला होगा लेकिन यह अनिवार्य रूप से माता-पिता के दावे पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगा और भविष्यवर्ती हानि को एक वैध दावा मिलेगा बशर्ते कि माता-पिता यह स्थापित करें कि यदि बच्चा जीवित होता तो उन्हें आर्थिक लाभ की युक्तियुक्त अपेक्षा थी। यह सिद्धांत टाफ बेले रेलवे बनाम जेनकिंस, (1913) एसी 1 के प्रसिद्ध मामले में हाउस ऑफ लाड्र्स द्वारा निर्धारित किया गया था और लॉर्ड एटकिंसन ने इस प्रकार कहाः

> ‘‘..... बस इतना जरुरी है कि मुकदमा करने वाले व्यक्ति को आर्थिक लाभ की युक्तियुक्त अपेक्षा होनी चाहिए। यह बिल्कुल सच है कि इस अपेक्षा का अस्तित्व तथ्य का एक अनुमान है, तथ्य का एक आधार होना चाहिए जिससे युक्तियुक्त रुप से निष्कर्ष निकाला जा सके, लेकिन मैं इस प्रस्ताव से अपनी सहानुभूतिपूर्ण असहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि दो तथ्य जिनके बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, पहला यह कि मृतक ने अतीत में पैसा कमाया था, और दूसरा कि उसने वादी की वित्तीय सहायता करने में योगदान दिया था, निस्संदेह, ये साक्ष्य के भावी अंश (प्रेगनेन्ट पीस) हैं लेकिन यह केवल साक्ष्य के अंश/टुकड़े हैं; और मैं सोचता हूॅ कि आवश्यक निष्कर्ष उनसे भिन्न और भिन्न परिस्थितियों से निकाला जा सकता है।" (देखें-लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य,(2001)8 एससीसी 197)

10. इस न्यायालय ने लता वाधवा के मामले में (उपरोक्त) में मुआवजे की गणना करते समय 5 से 10 वर्ष की आयु वर्ग और 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के मृत मृत बच्चों के बीच अंतर किया गया।

11. कम उम्र के छोटे बच्चों के मामले में, अनिश्चितताओं की अधिकता को देखते हुऐ, न तो मृत्यु के समय उनकी आय, न ही भविष्य में उनकी आय में वृद्धि की संभावनाऐं और न ही उनकी जीवन यात्रा में उन्नति की संभावनाऐं अनुमानित आधार पर उचित निर्धारण करने में संभव हैं। इसका कारण यह है कि इतनी कम उम्र में, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, भावी भविष्य में उपलब्धियों और उसके बाद जीवन में उन्नति के संबंध में अनिश्चितताऐं इतनी प्रचुर है कि उपयुक्त निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए, न तो मृत बच्चे की आय का आंकलन अनुमानित आधार पर किया जा सकता है और न ही माता-पिता को हुई वित्तीय हानि का गणितीय आंकलन किया जा सकता है।

12. न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम सतेंदर ओर अन्य, एआईआर (2007) एससी 324 में उक्त पहलू विशिष्ट रुप से दर्शित किये गये थे।

13. अंतिम नामित मामले (उपर वर्णित) में उल्लेखित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, और यह तथ्य कि अपीलकर्ता के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, दी गई राशि में हस्तक्षेप की कोई व्याप्ति नहीं है।

14. अपील खारिज करने योग्य है जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपील खारिज की जाती है।

▌यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी □□□□□ (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।▐

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।